

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

नारायण ए/स ऐजी

तारीख हुकम नम्बर	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------------------	-----------------------------------	---

412/2024

16.08.2024	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाड़ा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 /2024/2210 दिनांक 16.08.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.08.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :- ग्राम ईन्द्रपुरा पटवार हल्का पालडी तहसील भीलवाड़ा	
------------	---	--

1. नारायणलाल पुत्र केदारलाल लढा साकिन आर0सी0 ब्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के आराजी नम्बर 1109/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर रहेगी।

2. ऐजी पत्नी स्व0 भूरा, चुन्नीलाल पुत्र देवा, रामचन्द्र पुत्र देवा सोसी पुत्री देवा, हीरा पुत्र देवा गुजर खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-

आराजी नम्बर 1109/1 रकबा 0.1771 हैक्टेयर रहेगी।
उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में

तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad
उपखण्ड अधिकारी एवं
पट्टेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.
दायर दिनांक
30.07.2024
उनवान

प्रकरण संख्या
412/2024

निर्णय दिनांक
16.08.2024

- नारायण लाल आत्मज श्री केदार लाल लढा निवासी 2 एफ 11 आर सी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
- श्रीमती ऐजी पत्नी श्री भूरा जी जाति गुर्जर निवासी- इन्द्रपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
- श्री चुन्नी लाल आत्मज श्री देवा जी गुर्जर निवासी- इन्द्रपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
- श्री रामचन्द्र आत्मज श्री देवा जी गुर्जर निवासी- इन्द्रपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
- सोसी पुत्री श्री देवा जी जाति गुर्जर निवासी इन्द्रपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
- श्री हीरा आत्मज श्री देवा जी गुर्जर निवासी- इन्द्रपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

- वादी अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित।
- विपक्षीगण उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं। प्रकरण में - इस वाद में तारीख 16.08.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का पालडी तहसील भीलवाड़ा

- नारायणलाल पुत्र केदारलाल लढा साकिन आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के आराजी नम्बर 1109/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर रहेगी।
- ऐजी पत्नी स्व0 भूरा, चुन्नीलाल पुत्र देवा, रामचन्द्र पुत्र देवा सोसी पुत्री देवा, हीरा पुत्र देवा गुर्जर खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-
आराजी नम्बर 1109/1 रकबा 0.1771 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद कार्यवाही करें।

Ahad
(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा